Capacity Building Training to BLOs and Supervisors

Election Department Rajasthan

TOPIC To Be DISCUSSED IN THIS PRESENTATION-

- Electoral Rolls
- GARUDA BLO App
- Legal and MCC
- General and EVM & VVPAT
- SVEEP
- Accounts

Overview

- स्वीप क्या व क्यों ?
- राजस्थान केन्द्रित स्वीप के लक्ष्य व मॉडल
- माईक्रोप्लानिंग व क्रियान्वयन
- बीएलओ की भूमिका

- श्रेणीवार कार्ययोजना
- विशेषयोग्यजन मतदाता (PwD) /80+ वृद्धजन/कोविड पीडित हेतु पोस्टल बेलेट सुविधा
- ईएलसी –सशक्त माध्यम
- "हैलो वोटर्स" वेब रेडियो

स्वीप (SVEEP) क्या है ?

- स्वीप – भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2009 (दिसम्बर) में राष्ट्रव्यापी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसका नाम स्वीप है।
- स्वीप का पूरा नाम – 'सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड ईलेक्टोरल पार्टिसिपेशन' सुव्यविस्थत मतदाता शिक्षा एवं भागीदारी
- वर्तमान में स्वीप अपने तीसरे चरण में है जिसे **स्वीप–III** नाम दिया गया है।
- स्वीप–III का प्रारंभ मई 2015 से माना गया है।
- स्वीप–III के तीन प्रमुख लक्ष्य है–
    - ❖ अधिक से अधिक मतदाता पंजीकरण
    - ❖ अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत
    - ❖ सतत् मतदाता शिक्षा एवं मतदाता शिक्षा को समाज की प्रमुख धारा से जोडना

स्वीप क्यों ?

- स्वीप के पीछे प्रमुख प्रेरक बिंदु 90 के दशक में विशेषकर युवाओं का चुनाव प्रक्रिया से विमुखीकरण हो गया था।
- राजस्थान में स्वीप सबसे पहले 2013 के चुनाव में अपनाया गया। जिसके परिणामस्वरूप निम्नांकित

लोकसभा चुनाव	2009	2014	2019
मतदान प्रतिशत	48.6%	63.02%	66.03%

+15% → +3% →

राजस्थान केन्द्रित स्वीप के लक्ष्य

- त्रुटिरहित मतदाता सूचियां — Healthy Electoral Rolls
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया — Free and Fare Election Process
- मतदाता केन्द्रित क्रियाकलाप — Voter Centric Activities
- समावेशी निर्वाचन भागीदारी — Inclusive Electoral Participation
- नैतिक मतदान — Ethical Voting
- अन्य मतदाताओं को उपर्युक्त तीन हेतु प्रोत्साहित करना — Motivating Other Voters
- सतत मतदाता एवं प्रजातांत्रिक शिक्षा — Continous Electoral & Democratic Education

राजस्थान में स्वीप मॉडल

राज्य स्तर

मतदाता जागरूकता हेतु सकारात्मक वातावरण निर्माण Environment Building Strategy **(EBS)**

जिला स्तर

मतदान संबधी गेपस को दूर करना Bridging the Gap Strategy (BGS)

ईआरओ एवं मतदान केन्द्र स्तर

सूक्ष्म कार्ययोजना **Micro Plannning** Strategy **(MPS)**

25 प्रतिशत सबसे कम मतदान वाले मतदान केन्द्र को चिन्हित कर मतदाता वर्गवार (युवा, महिला, विशेष योग्यजन, वरिष्ठ नागरिक आदि) केन्द्रित प्रयास करना।

न्यूनतम मतदान प्रतिशत हेतु माइक्रो–प्लानिंग व क्रियान्वयन

- क्षेत्र की पहचान
- मतदाता श्रेणी / समूह की पहचान
- कम मतदान / उदासीनता के कारण की पहचान
- मतदान प्रतिशत बढाने हेतु विशेष स्वीप गतिविधियों का चिन्हिकरण व संचालन
- Non election period का समुचित उपयोग
- उपलब्ध समस्त संसाधनों यथा सरकारी गैर–सरकारी Stakeholders को mobilize करना

बीएलओ समस्त कार्य **ERO/AERO/Supervisor** के मार्गदर्शन में संचालित करेगा।

- e-EPIC का प्रचार व डाउनलोड
- PwD मतदाता को दी जाने वाली सुविधाओं का प्रचार
- पोस्टल बेलेट सुविधा प्राप्त करने वाले मतदाताओं का चिन्हिकरण
- चुनाव पाठशाला का गठन व क्रियान्वन
- अपने क्षेत्र में स्थित विद्यालय/क

Use of Social Media

- Facebook: ceorajasthan
- Instagram: ceo_rajasthan
- Twitter: ceorajasthan
- YouTube: Sveep Rajasthan
- Pinterest: rajsveep

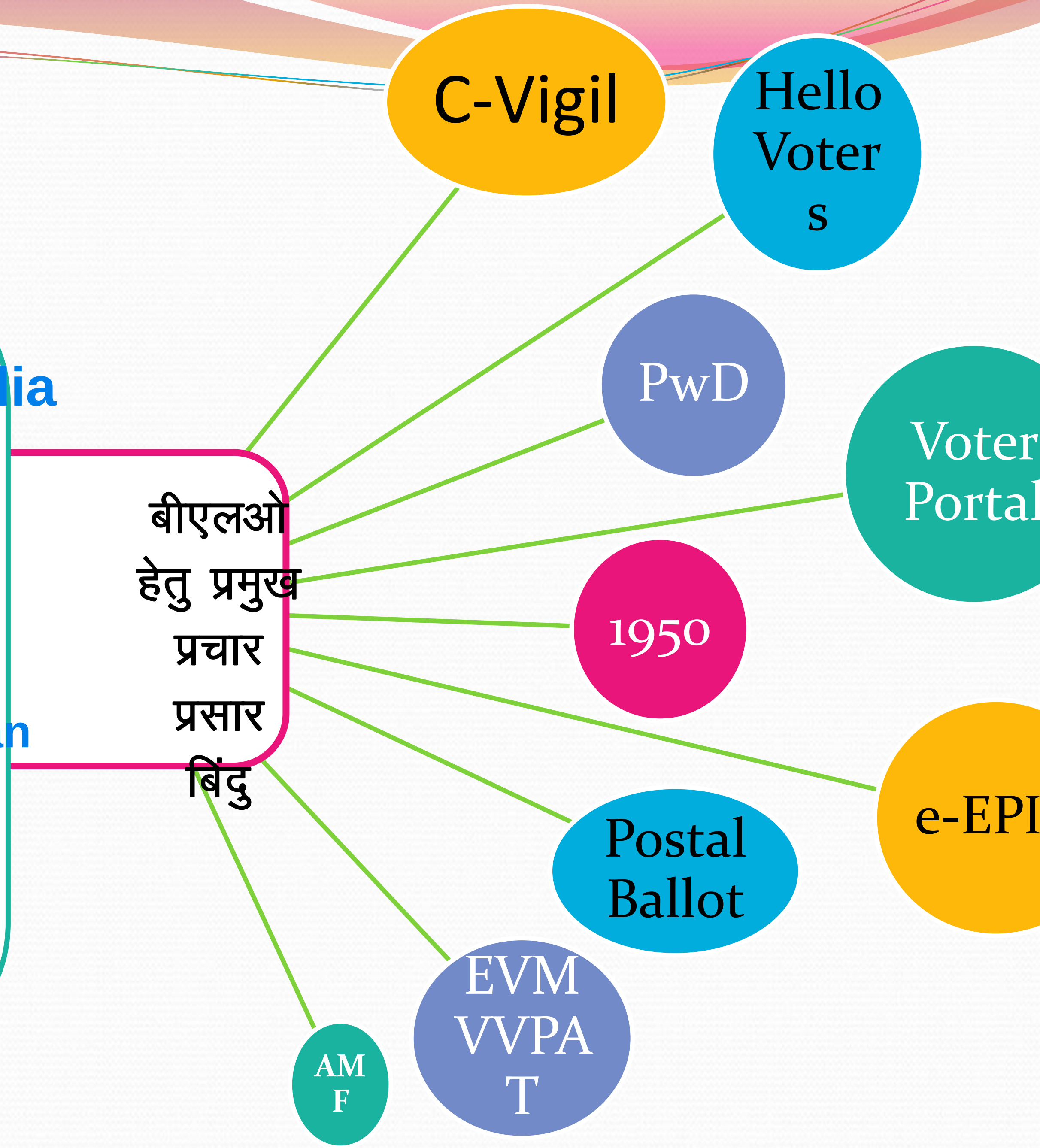

श्रेणीवार कार्ययोजना –PwD, Geriatric,Female, Youth

PwD/ Geriatric

- वोलन्टियर्स एवं स्पेशल एजुकेटरर्स का चिन्हिकरण एवं प्रशिक्षण
- एएमएफ का विस्तृत प्रचार प्रसार
- क्लस्टर कैम्पस का एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग एवं शतप्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित
- चुनाव पाठशाला के सत्रों में विशेष रूप से भागीदारी
- प्रत्येक रविवार को आयोजित विशेष गतिविधि में मतदान के विभिन्न पहलुओं का प्रचार प्रसार एवं भागीदारी सुनिश्चित करना– आगामी एनवीडी–2022 में शत प्रतिशत PwD पंजीयन करवाने वाले बीएलओ को पुरस्कृत किया जाएगा
- 12 डी/पोस्टल बैलेट सुविधा का विस्तृत प्रचार प्रसार

Female/ Youth

- सेल्फ हैल्प ग्रुपस/आशा सहयोगिनी का प्रशिक्षण
- एएमएफ का विस्तृत प्रचार प्रसार
- ईएलसी का एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग
- ईएलसी कलैण्डर अनुरूप गतिविधियों का संपादन
- कैम्पस एम्बेसडर के माध्यम से युवा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु प्रचार प्रसार
- विभाग के सोशल मीडिया हैण्डलस द्वारा विस्तृत प्रचार प्रसार

विशेषयोग्यजन मतदाता (PwD) /80+ वृद्धजन/कोविड पीडित हेतु पोस्टल बेलेट सुविधा

- **पोस्टल बेलेट सुविधा–**
  - पोस्टल बेलेट की सुविधा के अन्तर्गत निम्नांकित वर्गो को सम्मिलित किया गया है– (भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 09 फरवरी 2021)
  - 80+ वरिष्ठ नागरिकों
  - विशेष योग्यजन मतदाता PwD
  - कोविड प्रभावित मतदाता

- **पोस्टल बेलेट की प्रक्रिया-**
  - मतदाता को मतदान की अधिसूचना जारी होने के 05 दिवस के अंदर पोस्टल बेलेट सुविधा के लिए आवेदन करना होता है।
  - पोस्टल बेलेट सुविधा हेतु मतदाता को **12डी** फॉर्म भरना होता है।
  - रिर्टनिंग ऑफिसर मतदाता सूची में आवेदक के नाम के आगे 'पीबी' मार्क होना सुनिश्चित करेगा।
  - जिस मतदाता ने 'पीबी' का विकल्प चुना है वह व्यक्तिगत रूप से पोलिंग बूथ पर मतदान करने हेतु उपस्थित नहीं हो सकेगा।
  - पोलिंग ऑफिसर, माइक्रो ऑब्र्जवर के साथ मतदाता के घर पर जाकर बेलेट बॉक्स में मतदान करवाएगा। जिसकी पूर्व सूचना मतदाता को एसएमएस अथवा बीएलओ द्वारा प्रदान की जाएगी। बीएलओ अधिकतम दो बार संबंधित मतदाता के घर जाकर पोस्टल बैलेट उपलब्ध करवाएगा।
  - स्वतंत्र एवं निक्षपक्ष मतदान की दृष्टि से उक्त संपूर्ण मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।

ईएलसी –सशक्त माध्यम

25 जनवरी 2018 को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपूर्ण देश में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ELC) प्रारंभ किए गए

ईएलसी (कॉलेज) – कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले नव मतदाताओं हेतु ईएलसी कॉलेज (18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु पर केन्द्रित)

ईएलसी (स्कूल) – कक्षा 9 से 12 वी तक के विद्यार्थियों (14 से 18 वर्ष की आयु) अर्थात भविष्य के मतदाताओं हेतु विद्यालय स्तर पर (सरकारी एवं गैर सरकारी) ईएलसी स्कूल

वोटर अवेयरनेस फोरम (वीएएफ) – मतदाता जागरूकता मंच जो सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन एवं दफ्तरों के स्तर पर कार्य करता है।

चुनाव पाठशाला – प्रत्येक मतदान केन्द्र पर चुनाव पाठशाला (जो असंगठित मतदाताओं हेतु है एवं इसमें प्रमुख रूप से स्कूल ड्रापआउट को शामिल किया जाता है। बीएलओ इसके नोडल होते हैं।

विधानसभा उपचुनाव 2021 एवं कोविड 19 प्रोटोकॉल

- आयोग के दिशा निर्देशानुसार कोविड के दौरान मतदाताओं का निम्नांकित विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं :–
  - राज्य एवं जिला स्तरीय विशेष योग्यजन कमेटी में मेडिकल एक्सपर्ट को सम्मिलित किया गया है।
  - कोविड के दौरान मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत सोशियल मीडिया/डिजीटल माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया
  - कोविड से बचाव हेतु मतदान बूथो पर निम्न सुरक्षा मापदण्डों का पालन किया जाना है–
    - थर्मल स्कैनर
    - सोशल डिस्टेंसिंग
    - फेस मास्क
    - हैण्ड ग्लवस, पीपीई किट आदि

“हैलो वोटर्स” वेब रेडियो

- हैलो वोटर्स वेब रेडियो भारत निर्वाचन आयोग का अभिनव प्रयास है। 25 जनवरी 2021 को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इसका उद्घाटन किया।
- हैलो वोटर्स वेब रेडियो से जुडने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर लॉगिन करना होगा।
- हैलो वोटर्स वेब रेडियो पर मतदाता जागरूकता संबंधी कहानियाँ, जिंगल्स, पॉडकास्ट, आईकन संदेश, प्रेरणादायक गीत, प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं विशेष मेहमानो के वीडियो संदेश, आयोग द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी आदि उपलब्ध हैं।
- हैलो वोटर्स वेब रेडियो को मोबाइल पर भी सुना जा सकता है।

https://eci.gov.in/web-radio/

- Listen Now
- Vodcast
- Spotlight

धन्यवाद